न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/1012/2005/जोधपुर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. छवरलाल
2. भोलाराम पुत्रगण कुनाराम
   समस्त जाति माली निवासी गोपीनेरा मण्डोर जिला जोधपुर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री भंवरलाल मेहरडा, सदस्य

उपस्थित

श्रीमती पूनम माथुर, अति राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण संख्या–1

निर्णय

दिनांक 09.04.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–02–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम मण्डोर स्थित आराजी खसरा नम्बर

1905/48/5 रकबा 05बीघा एवं खसरा नम्बर 1904/5 रकबा 08बीघा 05बिस्वा भूमि बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर वादी पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-12-2003 से वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10-02-2005 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का काश्तकार मानकर विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रमाणित नहीं होना मानते हुए विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया। उनका कथन है कि

अपीलीय न्यायालय ने मात्र वादी के अभिकथनों का खण्डन नहीं करने का आधार अंकित कर अपील को स्वीकार किया परन्तु विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को स्वयं अपना वाद सिद्ध करना होता है तथा यह जिम्मेदारी वादी की थी कि वह सन् 1955 से पूर्व से खातेदार की हैसियत से भूमि पर काबिज होना सिद्ध करता, जैसा कि स्वयं वादीगण ने अपने वाद में अभिकथन अंकित किये थे परन्तु वादीगण विधिक प्रावधानों एवं साक्ष्य के आधारर पर अपना प्रकरण विचारण न्यायालय में सिद्ध करने में विफल रहे। उनका कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अिनियम की धारा 15 व 19 के अनुरूप वादीगण का कोई प्रकरण ही प्रमाणित नहीं हुआ। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के मौखिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य पर वरीयता देकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के समय काबिज काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से निरन्तर चले आ रहे है, जिसके बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष समुचित दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद को साबित कराया गया किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए वाद को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही विवादित आराजी पर वादीगण बतौर आसामी कब्जा काश्त होने से बाई आपरेशन ऑफ लॉ विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार अर्जित कर चुके थे। उनका कथन है कि प्रतिवादी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष कोई जवाब

अथवा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर वीदगण के वाद को खण्डन नहीं किया है। योग्य अधिवक्ता प्रत्यथीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात विवादित आराजी से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में प्रमाणित प्रतियां है, जिसे रिकार्ड पर लिया जावे। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों एवं उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. सर्वप्रथम हम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र को निर्णीत करना उचित समझते है। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा खतौनी सम्वत् 1883 राज. मारवाड, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 से 2022, 2035 से 2038, 2039 से 2042, 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2056 से 2059, 2060 से 2063 एवं 2064 से 2067, खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2020, नामान्तरकरण संख्या 2501 दिनांक 23-03-2013 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2032 विवादित आराजी से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां है, जिनकी सत्यता पर सन्देह नहीं किया जा सकता है तथा उक्त दस्तावेजात प्रकरण के विधिसम्मत् निस्तारण में प्रथम दृष्टया आवश्यक प्रतीत होने से इन्हें रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को

स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम मण्डोर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1905/48/5 रकबा 05बीघा एवं खसरा नम्बर 1904/5 रकबा 08बीघा 05बिस्वा भूमि बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का कथन किया कि उक्त विवादित आराजी पर वादीगण अपने पिता के जीवनकाल के समय से बहैसियत आसामी काबिज काश्त चला रहा है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य रसीद प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 तथा खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2021 से 2052 की नकले प्रदर्श–4 लगायत 15 प्रस्तुत की गयी, जिन्हें वादी छंवरलाल ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का वाद प्रमाणित होता है किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रमाणित नहीं होना मानकर खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श– 1 से प्रदर्श–15 के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री पारित किया गया है।

9. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 से 2022 में विवादित खसरा नम्बर 5/1904 रकबा 08बीघा 05बिस्वा एवं 48/1905 रकबा 05बीघा कालम संख्या–6 में खालसा, कॉलम संख्या–10 में काश्त ज्वार एवं कॉलम संख्या–13 से

15 में भोलाराम पुत्र कुनजी माली गोपी का बेरा गैर खातेदार एवं कॉलम संख्या–24 में भोलाराम पुत्र कुनजी गोपी का बेरा गैर खातेदार दर्ज है। उक्त इन्द्राज से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी भोलाराम सम्वत् 2019 से 2022 के राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रहा। इसके बाद की खसरा गिरदावरियों में भी विवादित आराजी पर काश्त अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त राजस्व अभिलेख के विवेचन से जाहिर है कि प्रत्यर्थीगण विवादित आराजित पर गैर खातेदार दर्ज रहे तथा उसके उपरान्त राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के उक्त प्रविष्टियों को हटाते हुए विवादित आराजी राजकीय खाते दर्ज कर दी, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। विवादित आराजी राजकीय दर्ज होने के उपरान्त भी प्रत्यर्थीगण के निर्बाध कब्जे काश्त में चली आ रही है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरियों एवं खसरा परिवर्तनशील से भी होती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व कर्मचारियों को गत प्रविष्टियों के आधार पर वर्तमान प्रविष्टियां दर्ज करनी चाहिए है तथा उन्हें सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर दर्ज प्रविष्टियों को हटाने का विधिक अधिकार नहीं होता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बने आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के तहत भूमिधारी तहसीलदार को गैर खातेदार को तीन वर्ष उपरान्त स्वतः ही खातेदारी देने के प्रावधान विहित किये हुए है किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक गैरखातेदार को खातेदारी देने के स्थान पर गैर खातेदारी की प्रविष्टियां बिना किसी सक्षम आदेश एवं न्यायोचित कारण के समाप्त कर दिये है, जिसे विधिक दुष्टि से कतेई उचित नहीं माना जा सकता है। उक्तानुसार उपलब्ध सम्पूर्ण रिकार्ड से यह जाहिर है कि प्रश्नगत आराजी प्रारम्भ से ही प्रत्यर्थीगण के नाम गैर खातेदार के रूपमें दर्ज रही है जिसकी खातेदारी पाने का उन्हें अधिकार था। हमारी सुविचारित राय में प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय

पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

8. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-02-2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरडा)
सदस्य

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य